भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 628

25 जून, 2019 को उत्तरार्थ

विषयः खाद्यान्न उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

628. श्री कनकमल कटाराः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में अनियमित जलवायु के कारण खाद्यान्न उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो बेहतर एवं उपयुक्त वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग कर कृषि पर जलवायु के प्रतिकूल प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् जैसे कृषि अनुसंधान संस्थानों ने रबी और खरीफ की विभिन्न फसलों, फलों एवं सब्जियों पर पड़ने वाले अनियमित जलवायु प्रभावों से निपटने के लिए युक्तिसंगत उपायों को विकसित करने हेतु विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) एवं (ख) जलवायु अस्थिरता के कारण सूखा, पाला, बाढ़, ओलावृष्टि जैसी घटनाएं खाद्यान्न उत्पादन को प्रभावित कर सकती हैं। तथापि, तैयारी और प्रतिरोधक किस्मों की शुरूआत होने की वजह से कुल खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2015-16 में 251.57 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 283.37 मिलियन टन (तृतीय अग्रिम अनुमान) और बागवानी उत्पादन वर्ष 2015-16 में 286.19 मिलियन टन से बढ़कर 2018-19 में 314.80 मिलियन टन (द्वितीय अग्रिम अनुमान) हो गया है।

राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तहत 10 मिशनों में से एक राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) में कार्यक्रम परक हस्तक्षेप शामिल हैं जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी), परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर), वर्षासिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी), राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) और कृषि वानिकी उप-मिशन (एसएमएएफ)। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) सहित ये कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम) के तहत अन्य बातों के साथ-साथ खाद्यान्नों की दवाब सहय/जलवायु अनुकूल किस्मों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

10 प्रमुख प्रदेयों की प्रगति की तिमाही सूचना दी जाती है अर्थात् i) जैविक खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल, ii) जैव उर्वरकों का उत्पादन, iii) प्रिसीजन सिंचाई, iv) एसआरआई/ट्रांसप्लांटेशन से सीधे बोए गए चावल, v) फसल विविधीकरण, vi) कृषि योग्य भूमि में रोपण के तहत अतिरिक्त क्षेत्रफल, vii) चिन्हित/रिलीज की गई जलवायु अनुकूल किस्में, viii) (क) वृद्धिकृत सीओ2 निर्धारण क्षमता और कम जल खपत और पोषक तत्वों के साथ फसलों से संबंधित समूहों की पहचान viii (ख) सूखे, बाढ़, लवणता और उच्च तापमान के प्रति अधिक अनुकूलन

वाली जलवायु अनुकूल जीनोटाइप, ix) राशन बैलेसिंग कार्यक्रम के तहत दुधारू पशुओं की कवरेज और x) बाइपास प्रोटीन फीड निर्माण इकाई की स्थापना।

(ग): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने जलवायु अनुकूल समेकित कृषि प्रणालियों (आईएफएस) के लिए 45 मॉडल विकसित किए हैं, जिन्हें प्रदर्शन के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) में प्रदर्शित किया गया है और वर्षासिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) कार्यक्रम के माध्यम से इनका विस्तार किया गया है। राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि नवाचार (एनआईसीआरए) के तहत 151 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक जलवायु अनुकूल ग्राम विकसित किए गए हैं। इसके लिए बहुआयामी कार्यनीति अपनाई गई है जिसमें अनुकूलन, प्रशमन पर कार्यनीतिक अनुसंधान और जागरूकता पैदा करने के लिए किसानों के खेतों में प्रौद्योगिकीयों का प्रदर्शन करना शामिल है जिसका मुख्य लक्ष्य बाढ़, सूखे, पाला, चक्रवात और लू के कारण आप्लावन जैसे जलवायु दबाव सहय फसल किस्में विकसित करना है । केंद्रीय शुष्क-भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान (सीआरआईडीए), हैदराबाद द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रति भारतीय कृषि की संवेदनशीता पर एटलस तैयार की गई है। 648 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिकता योजनाएं तैयार की गई है ताकि सतत कृषि के लिए मौसम की अस्थिरता का प्रबंधन किया जा सके।

****